“An Inquisition into the Philosophy behind the New Criminal Laws of India” पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का सम्बोधन।

(दिनांकः 31 जनवरी, 2025)

जय हिन्द!

आज एक उल्लेखनीय पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, जो भारत के नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के दार्शनिक आधारों और प्रगतिशील तत्वों पर प्रकाश डालती है।

भारत के आपराधिक कानूनों के संबंध में लिखी गई इस पुस्तक ″An Inquisition into the Philosophy behind the New Criminal Laws of India″ के लेखक उपकुलपति प्रो. राजेश बहुगुणा जी, श्री अमित सिरोही जी व डॉ. वैभव उनियाल को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ।

किसी भी कानूनी परिवर्तन के मूल में न्याय, निष्पक्षता और सामाजिक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली

में सुधार करने के लिए एक साहसिक और आवश्यक कदम उठाया है। हमारे ये तीन कानून न केवल कुशल और मजबूत हैं बल्कि वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप भी हैं। यह पुस्तक भी इन ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तनों के सिद्धांतों, विकास और उद्देश्यों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

मैं कानूनी दर्शन और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने वाले इस विद्वत्तापूर्ण प्रयास के लिए लेखकों को बधाई देता हूँ। मुझे भरोसा है कि राष्ट्रवाद, स्वराज, तकनीकी प्रगति, सामाजिक प्रगति, पीड़ित कल्याण और सामुदायिक सेवा के नजरिए से कानूनों का विश्लेषण करके, यह पुस्तक छात्रों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और कानूनी विशेषज्ञों के लिए एक अमूल्य संसाधन साबित होगी।

साथियों,

सत्य और न्याय की भावना भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के पूरे प्रारूप का आधार है। एक ऐसे समय में जब देश विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब, संविधान की भावना से प्रेरित भारतीय न्याय संहिता का प्रभाव प्रारंभ होना, उसका प्रभाव में आना, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश के नागरिकों के लिए हमारे संविधान ने जिन

आदर्शों की कल्पना की थी, उन्हें पूरा करने की दिशा में ये ठोस प्रयास है।

आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों की समाप्ति का प्रतीक हैं। नए आपराधिक कानून 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए' की भावना को मजबूत करते हैं, जो लोकतंत्र की नींव है। यह न्याय संहिता समानता, सद्भाव और सामाजिक न्याय के आदर्शों से बुनी गई है, और इस भारतीय न्याय संहिता का मंत्र है – नागरिक प्रथम।

साथियों,

देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आई, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यावहारिक पक्ष देखा गया, तब भारतीय न्याय संहिता अपने इस स्वरूप में हमारे सामने आई है।

न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं। लेकिन, व्यावहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती रही है। पहले गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। उसे भरोसा होगा कि देश का कानून समानता की गारंटी है। यही सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसका भरोसा हमारे संविधान में दिलाया गया है।

साथियों,

न्याय की पहली कसौटी है– समय से न्याय मिलना। हम सब ये सुनते भी आए हैं– justice delayed, justice denied! इसीलिए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय–सीमा भी तय की गई है।

नए कानून लागू होने के बाद अपराधी के पकड़े जाने तक अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होगा। ये बदलाव देश की सुरक्षा के लिए भी उतने ही जरूरी थे। मेरा विश्वास है कि डिजिटल साक्ष्यों और टेक्नोलॉजी के

इंटिग्रेशन से हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में भी ज्यादा मदद मिलेगी। अब नए क़ानूनों में आतंकवादी या आतंकी संगठन कानून की जटिलताओं का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

नई न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता से हर विभाग की उत्पादकता बढ़ेगी और देश की प्रगति को गति मिलेगी। कानूनी अड़चनों के कारण जो भ्रष्टाचार को बल मिलता था, उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अधिकतर विदेशी निवेशक पहले भारत में इसलिए निवेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कोई मुकदमा हुआ तो उसी में वर्षों निकल जाएंगे। जब ये डर खत्म होगा, तो निवेश बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

साथियों,

आज, जब हम परिवर्तन के चौराहे पर खड़े हैं, तो हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कानूनी सुधार केवल कानूनों में संशोधन करने के बारे में नहीं हैं बल्कि वे समाज, शासन और न्याय वितरण के मूल ढांचे को बदलने के बारे में हैं। हमारा नया कानूनी ढांचा जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय न केवल दिया जाए बल्कि सभी के लिए सुलभ भी हो।

मैं कानून के क्षेत्र में बौद्धिक चर्चा, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज देहरादून की भी सराहना करता हूँ। इस तरह की संस्थाएं भविष्य के कानूनी दिमाग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक आने वाले वर्षों में कई लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बनेगी।

मैं लेखकों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका समर्पण, शोध और कानूनी विद्वता के प्रति प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। यह पुस्तक निसन्देह हमारे कानूनी सुधारों की गहरी समझ में योगदान देगी और भावी पीढ़ियों को कानून से सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पांच स्तंभों पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन और फॉरेंसिक को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि नए कानूनों के लागू होने के बाद अब त्वरित न्याय मिलेगा, दोषसिद्धि की दर अधिक होगी और अपराध अनुपात में कमी आएगी।

भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो, उनका जमीन पर असर दिखे, इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को सक्रिय होकर काम करना होगा। नागरिकों को अपने इन अधिकारों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। क्योंकि, ये जितने प्रभावी तरीके से लागू होंगे, हम देश को उतना ही बेहतर भविष्य दे पाएंगे। इस आग्रह के साथ कि हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाएंगे, अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

जय
हिन्द!